

## लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स शाहाबाद कंस्ट्रक्शन्स एलएलपी, प्रो०-श्री शिशुपाल प्रसाद वर्मा, पिता-श्री अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा, ग्राम+पी.ओ.-परेव, पी.एस.-बिहटा, पटना द्वारा पटना सोन-18 बालू घाट, मौजा-महुआर, ब्लॉक-बिहटा, जिला-पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 08.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पटना जिला के अंचल कार्यालय, बिहटा, जिला-पटना में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2371/2023, dated 02.05.2023 के आलोक में श्री अमिताभ सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, द्वारा दिनांक 08.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, बिहटा, जिला-पटना में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 08.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमीर अख्तर ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (490 नं०)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री मुकेश कुमार, ग्राम-पाण्डेचक, जिला-पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना दौरान पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना के तहत कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के तहत 57 लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोग को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा।
2.	श्री रामचन्द्र कुमार, ग्राम-तारेगना, जिला-पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया कि बालू खनन परियोजना के दौरान अगल-बगल के खेत-फसल प्रभावित होते हैं। इसलिए पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि सड़क पर पानी का छिड़काव 02 टैंकर से दिन में 3-4 बार किया जायेगा। सड़क का मरम्मत भी समय-समय पर किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा।
3.	श्री कमलेश कुमार, ग्राम-पाण्डेचक, जिला-पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ के ग्रामीण जनता बेरोजगार है। रोजगार मिलना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के तहत स्थानीय लोगों को योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान की जायेगी।
4.	श्री धीरज कुमार, ग्राम-महुआर, जिला-पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान परिवहन से रास्ते को क्षति पहुँचती है। इसका उपाय किया जाना चाहिए।

L

0/

		पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना के दौरान बालू घाट से लेकर पहुँच-पथ तक सड़क का रख-रखाव संवेदक द्वारा किया जायेगा। एन.एच./एस.एच. का रख-रखाव सरकार द्वारा की जाती है।
--	--	--

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख-रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ-व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

30/12-9-23  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बि.रा.प्र.नि.पर्षद, पटना
















अपर जिला दण्डाधिकारी,  
पटना



## उपस्थिति सूची

मेसर्स शाहाबाद कंस्ट्रक्शन एलएलपी, प्रो०-श्री शिशुपाल प्रसाद वर्मा द्वारा पटना सोन-18 बालू घाट, मौजा-महुआर, ब्लॉक-बिहटा, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अंचल कार्यालय, बिहटा दिनांक 08.09.2023 समय-11:00 A.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अभिमान-पट्टा-	अंचल जिला इन्जिनियरिंग - पटना	
2.	आशीष कुमार गुप्ता	श्री १५-५ डाकघर, बि० ए० ५० नि० ५५३, पटना	
3.	सर्वेश कुमार खंभवा	खनिज विकास परामर्श पटना	
4.	सैयद फरहीन	खान निरीक्षक, पटना	
5.	Amir Akhtar	Rion Enviro Pvt Ltd Patna	
6.	अभिषेक कुमार	Rion Enviro Pvt. Ltd	
7.	अशोक कुमार	Patna	
8.	Ram Chandra	नरेंद्रा	
9.	Shambhu Kumar	Uthorata	
10.	Ajay Kumar	10th Floor	
11.	MUKESH KUMAR	Randey Chak	
12.	Piyush Kumar	Taregna	
13.	नरेंद्र कुमार	दाशरथाय	
14.	अशोक कुमार	बगहाफत	
15.	अमलेश कुमार	पाण्डे चक	

16	मधुसूदन कुमार	नौगामा	मधुसूदन कुमार
17	संजीव कुमार	केलहनपुर	Sanjeev Kumar
18	पुष्प माम	महुवा	Pushpa Lal
19	रविश कुमार	केलहनपुर	रविश कुमार
20	संजीव कुमार	केलहनपुर	संजीव कुमार
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			